भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 866
29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

सैन्य नर्सिंग सेवा के कार्मिक

866. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 27-10-1986 की अधिसूचना के अनुसार सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गणतंत्र दिवस परेड में उनके महत्वपूर्ण योगदान और हाल ही में भाग लेने के बावजूद मनसे के कार्मिकों को इस परिभाषा से बाहर रखने के क्या औचित्य हैं;

(ग) क्या सरकार एमएनएस के कार्मिकों को शामिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वे सशस्त्र बलों के अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले लाभ और मान्यता प्राप्त कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (घ): जी, हाँ। सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) के लिए ईएसएम का दर्जा वर्ष 2016 से समाप्त कर दिया गया है। सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) के लिए ईएसएम का दर्जा प्रदान करने के संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

*****